न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–डॉ0 सौम्या झा
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 02/2019 धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
राजस्थान सरकार जरिये विमला मीना, प्रवर्तन निरीक्षक, दौसा शहर

..प्रार्थी

बनाम

श्री अलीमुद्दीन पुत्र श्री मोहम्मद आलम निवासी हरिजन बस्ती स्कूल के सामने, बाबाजी की छावनी, रामकुण्ड, दौसा

..अप्रार्थी

उपस्थितः 1. श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार
2. श्री इनायत हुसैन,अधिवक्ता अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 15 गैस सिलेण्डर(15 घरेलूसिलेण्डर) मय एल0पी0जी0 185.3 किलोग्राम

<u>निर्णय</u> दिनांकः03 .6.2026

1. सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि प्रर्वतन दल द्वारा दिनांक 28.5.2019 को श्री अलीमुद्दीन पुत्र श्री मोहम्मद आलम निवासी हरिजन बस्ती स्कूल के सामने, बाबाजी की छावनी, रामकुण्ड, दौसा द्वारा घरेलू एल0पी0जी0 गैस भंडारण करते हुए पाये जाने पर मौके पर पाये गये कुल 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 185.3 किलोग्राम एल0पी0जी0 को जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कियागया।
3. विभागीय पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र 6 ए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 28.5.2019 को प्रवर्तन अधिकारी दौसा एवं प्रवर्तन दल के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण/कय/विकय/रिफलिंग की जांच हेतु दौसा शहर में फर्म मैसर्स अलीमुद्दीन बाबाजी की छावनी के आगे, हरिजन बस्ती स्कूल के पास, दौसा शहर में जांच हेतु पहुॅचे। मौके पर फर्म के मालिक श्री अलीमुद्दीन उपस्थित पाये गये। जिनकी उपस्थिति में गवाहान के समक्ष मकान/व्यवसाय परिसर की जांच/तलाशी करने पर परिसर में बने हुए कच्चे झोंपडे में घरेलू एल0पी0जी0 गैस 14.2 किलोग्राम क्षमता के 15 सिलेण्डर पाये गये। श्री अलीमुद्दीन से उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण बाबत आवश्यक अनुज्ञा पत्र दस्तावेज मांगे गये, परन्तु मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मौके पर गैस रिफलिंग/अन्तरण हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण मय पाईप व रेगूलेटर पाया गया जिसके विषय में पूछने पर कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया गया। मौके पर मैसर्स सदाशिव भारत गैस एजेन्सीज के मैनेजर श्री चन्द्रमोहन शर्मा व डिलीवरीमैन को मय तोल मशीन मंगाकर सिलेण्डरों की तोल कराई गई जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

कसं	सिलेण्डरका एसआर नंबर	नाम गैस कंपनी	मानक भार	TW	GW	शुद्ध गैस
1	790987 एस	बीपीसीएल	14.2	15.7	30.00	14.3
2	130548 बी	बीपीसीएल	14.2	15.6	30.00	14.4
3	475944 एस	बीपीसीएल	14.2	15.6	29.8	14.2
4	121011 बी	बीपीसीएल	14.2	15.7	29.9	14.2
5	1067120 टी	बीपीसीएल	14.2	16.5	30.8	14.3
6	278088	बीपीसीएल	14.2	15.6	15.6	0
7	064371 जे	बीपीसीएल	14.2	15.5	15.5	0

जिला कलेक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8	457664 बी	बीपीसीएल	14.2	15.5	30.6	14.6
9	910652 एस	बीपीसीएल	14.2	15.9	30.0	14.1
10	192189 बी	बीपीसीएल	14.2	15.5	30.0	14.5
11	264221 एस	बीपीसीएल	14.2	15.7	29.8	14.1
12	2831605	बीपीसीएल	14.2	16.1	30.2	14.1
13	549480 बी	बीपीसीएल	14.2	15.6	29.9	14.3
14	1764	बीपीसीएल	14.2	17.1	31.00	13.9
15	454643	बीपीसीएल	14.2	15.9	30.2	14.3
					शुद्ध गैस	185.3

4. व्यवसायी श्री अलीमुद्दीन ने उक्त सिलेण्डर के भंडारण बाबत कोई दस्तावेज/अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किये तथा मौके पर गैस अन्तरण का उपकरण भी पाया गया है जिससे स्पष्ट है कि व्यवसायी बडे सिलेण्डर्स छोटे सिलेण्डर्स/एलपीजी वाहन में गैस अन्तरण कर अवैध कारोबार करता है। गैस अन्तरण का यह कार्य सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है क्योंकि एलपीजी गैस अत्यन्त ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ है। इस प्रकार श्रीअलीमुद्दीन द्वारा एल0पी0जी0 आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण उक्त आदेश के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सिलेण्डर्स को मय गैस तथा एक गैस अन्तरण का उपकरण जब्त किया गया तथा सुरक्षा व साक्ष्य की दृष्टि से सदाशिव भारत गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री चन्द्रमोहन शर्मा की सुपुर्दगी में अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रखने हेतु दिये गये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर जब्तशुदा 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल0पी0जी0 गैस 185.3 किलोग्राम को राजसात करने के आदेश फरमावें। चूंकि एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक व जनहित की वस्तु है अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश भी प्रदान करावें।
5. अधिवक्ता अप्रार्थी के द्वारा बहस में कथन किया गया कि अप्रार्थी मुस्लिम समुदाय से है एवं मुस्लिम समाज में आज भी संयुक्त परिवार की परंपरा है। अप्रार्थी के द्वारा सादी समारोह हेतु खाना बनाने के लिए उक्त सिलेण्डर एकत्रित किये गये थे। अप्रार्थी के द्वारा कोई अवैध गैस भंडारण व अंतरण का कार्य नहीं किया जाता है। प्रवर्तन दल के द्वारा गलत रूप से अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 निरस्त किया जाकर अप्रार्थी के जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों मय एल0पी0जी0 को अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश फरमावें।
6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन कियागया।
7. अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी के परिवार में शादी समारोह हाने से खाना बनाने हेतु सिलेण्डर एकत्रित किये गये थे। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विवाह के निमंत्रण पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें विवाह की दिनांक 26.6.2019 अंकित है जबकि प्रवर्तन दल के द्वारा दिनांक 28.5.2019 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण/क्रय/विक्रय/रिफलिंग की जांच/तलाशी करने पर परिसर में बने हुए कच्चे झोंपडे में घरेलू एल0पी0जी0 गैस 14.2 किलोग्राम क्षमता के 15 सिलेण्डर पाये गये थे। इससे अप्रार्थी के कथनों को बल नहीं मिलता है। मौका पर्चा में अन्तरण/भंडारण का उल्लेख किया गया है अप्रार्थी श्री अलीमुद्दीन के पास सिलेण्डरों के भंडारण एवं अन्तरण बाबत किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र नहीं था। व्यवसायी द्वारा बडे सिलेण्डर्स छोटे सिलेण्डर्स/एलपीजी वाहन में गैस अन्तरण कर अवैध कारोबार करना प्रमाणित होता है। एलपीजी गैस सिलेण्डरों से वाहन में अन्तरण का यह कार्य सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि एलपीजी गैस अत्यन्त ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ है। इस प्रकार श्री अलीमुद्दीन द्वारा एल0पी0जी0 आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी अलीमुद्दीन ने मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मौके पर गैस रिफलिंग/अन्तरण हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण मय पाईप व रेगूलेटर भी पाया गया है। दौसा शहर में घनी आबादी क्षेत्र पर दुकान का निरीक्षण करने पर एल.पी.जी. गैस घरेलू सिलेण्डर से

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवैध व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्पष्ट प्रमाणित होता है, जो अवैधानिक कृत्य की श्रेणी में आता है। इस प्रकार का उक्त कृत्य L.P.G. (**Regulation of supply and distribution) order**– 2000 के क्लॉज **3(C)**का स्पष्ट उल्लंघन है, हाल ही में भांकरोटा की गैस त्रासदी जैसी दुखद घटना भी हुई है। इस प्रकार का उक्त कृत्य **L.P.G. (Regulation of supply and distribution) order,** 2000 के खंड 3, 4, 5, 6, 7का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। हम प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाने योग्य समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित जब्त शुदा 15 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी 185.3 किलोग्राम मय गैस रिफलिंग/अन्तरण हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण मय पाईप व रेगूलेटर को राजसात **(Confiscate)**किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्णय की प्रति एवं मूल अभिलेख प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(डॉ0सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक:03 जून, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(डॉ0सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official